



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 02, शुक्रवार, शाके 1943-सितम्बर 24, 2021
Asvina 02, Friday, Saka 1943- September 24, 2021

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 23, 2021

संख्या प.2(16)विधि/2/2021.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 9)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई)

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2010 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 27-क का अंतःस्थापन.- राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 9) की विद्यमान धारा 27 के पश्चात् और विद्यमान धारा 28 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"27-क. अपराधों का संज्ञेय होना.- इस अधिनियम के अधीन दंडनीय समस्त अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे:

परन्तु इस अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।"

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, September 23, 2021

No. F. 2(16)Vidhi/2/2021.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Paryatan Vyavasay (Sukarkaran Aur Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (2021 Ka Adhiniyam Sankhyank 9):-

**(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN TOURISM TRADE (FACILITATION AND REGULATION)
(AMENDMENT) ACT, 2021
(Act No. 9 of 2021)**

(Received the assent of the Governor on the 23rd day of September, 2021)

*An
Act*

to amend the Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation) Act, 2010.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation) (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of new section 27-A, Rajasthan Act No. 9 of 2010.- After the existing section 27 and before the existing section 28 of the Rajasthan Tourism Trade (Facilitation and Regulation) Act, 2010 (Act No. 9 of 2010), the following new section shall be inserted, namely:-

"27-A. Offences to be cognizable.- All the offences punishable under this Act shall be cognizable and bailable:

Provided that the offences punishable under sub-section (3) and sub-section (4) of section 13 of this Act shall be cognizable and non-bailable."

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।